रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270775
CG-DL-E-09032026-270775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947
No. 157]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 163(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर -** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद।**	**आयु-सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि)।	35 (2025)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'।	स्तर-10 (56100-177500 रु0)।	लागू नहीं होता।	35 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।
(7)	(8)
आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक अनिवार्य विषय के रुप में या हिंदी माध्यम के साथ स्नातक की डिग्री ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य विषय के रुप में के साथ स्नातक की डिग्री। (ii) हिंदी आशुलिपि में दक्षता, हिंदी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति और हिंदी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति। (iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के तत्वावधान में अन्य संस्थानों द्वारा संचालित हिंदी आशुलिपि और टंकण में एक वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। **अनुभवः** हिंदी टाइपराइटिंग सहित हिंदी आशुलिपि में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में हिंदी टंकण सहित हिंदी आशुलिपि में कक्षाएं आयोजित करने का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। **टिप्पणः-** सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणः-** पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर या बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा,– (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हों ; या	लागू नहीं होता।

	(ii) मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रु0) के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और (ख) स्तंभ (7) के अधीन प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैः- 1 संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग -अध्यक्ष ; 2. निदेशक या उप सचिव, राजभाषा विभाग -सदस्य ; 3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान -सदस्य ।	पद पर भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है ।

[फा. सं. 14034/14/2022- रा.भा.(प्रशि.)]

प्रेम नारायण, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2026

G.S.R. 163(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment Rules, 2014, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) in the Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography).	35 (2025)* *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Non Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level-10 (Rs.56100-177500).	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto Five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University with Hindi as one of the compulsory subject or with Hindi Medium; or Bachelor's degree from a recognised University with Hindi as one of the compulsory subject at 10+2 level. (ii) Proficiency in Hindi Stenography with speed of 100 words per minute in Hindi shorthand and 40 words per minute in Hindi typewriting. (iii) One year Diploma or Certificate Course in Hindi Stenography and Hindi Typing conducted by Industrial Training institute or other institutions under the aegis of National Council for Vocational Training (NCVT) or State Government or Union Territories. **Experience:** Five years experience in Hindi stenography including Hindi typewriting. **Desirable:** Two years experience in organising classes in Hindi stenography including Hindi typewriting in a recognised Institution. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes it at any stage of selection. The Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years for direct recruits. **Note**: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of Probation as prescribed by Competent Authority.	By Direct Recruitment. **Note**:- Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more shall be filled on deputation basis from the officers of Central Government,– (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in level 7(Rs.44900-142400) in the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of:-** 1. Joint Secretary (Official Language), Department of Official Language – Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Department of Official Language – Member; 3. Director, Central Hindi Training Institute – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the posts.

[F. No. 14034/14/2022-OL (Trg.)]

PREM NARAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA